

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके प्रभाव, आयोजन स्थल आदि की जानकारी।
- इसके साथ-साथ, ब्रिक्स सम्मेलन, एससीओ सम्मेलन, कैटालोनिया संघर्ष, वेनेजुएला संकट के राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों, यूरेनियम बैंक, आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।

‘डेफर्ड एक्शन फॉर चिल्ड्रन एराइवल’ (डीएसीए)

डीएसीए (DACA) का अर्थ यह एक माफी स्कीम है, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वर्ष 2012 में शुरू किया था। यह स्कीम बचपन में अमेरिका आए दस्तावेज के बिना रहने वाले युवाओं को देश में रहने की इजाजत देता है तथा उन प्रवासी लोगों को वर्क परमिट दिया जाता है। डीएसीए (DACA) के तहत आने वाले युवा प्रवासियों की ‘ड्रीमर्स’ कहा जाता है।

चर्चा में आने का कारण 07 सितम्बर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डीएसीए (DACA) योजना को समाप्त कर दिया गया।

डीएसीए (DACA) के लिए नये प्रावधान

- जो युवा प्रवासी डीएसीए (DACA) स्कीम में रजिस्टर्ड हैं वो परमिट की समयावधि खत्म होने तक अमेरिका में रह सकते हैं।
- यदि उनका परमिट 5 मार्च, 2018 से पहले समाप्त होता है, तो वे 2 साल के लिये रिन्यू करवा सकते हैं और उन्हें ये रिन्यू 5 अक्टूबर, 2018 से पहले करवाना होगा।
- यदि किसी का परमिट 5 मार्च, 2018 के बाद खत्म होता है, तो उन्हें रिन्यू नहीं किया जाएगा। ऐसे में उन्हें वापस भेजा जा सकता है।
- जिन लोगों ने 5 अक्टूबर, 2018 तक अपना परमिट रिन्यू करने के लिए एप्लाइ नहीं किया उन्हें रिन्यूअल का फायदा नहीं मिलेगा, उन्हें वापस भेजा जा सकता है।

अमेरिका का ऐसा करने के पीछे कारण एटॉर्नी जनरल जेफ सेशन ने इस स्कीम को समाप्त करने के समय जो कारण बताये वो निम्नवत् हैं:-

- देश हित की रक्षा के नाम पर ये स्कीम समाप्त करने की आवश्यकता है। हम हर किसी को अमेरिका में जगह नहीं दे सकते।
- पुरानी स्कीम एक ओपन बॉर्डर पालिसी थी, अमेरिकी लोगों ने उसे रिजेक्ट कर बिल्कुल अच्छा किया।
- डीएसीए (DACA) एक अवैध स्कीम है।

वैश्विक प्रभाव :

- डीएसीए (DACA) के रद्द हो जाने पर अमेरिका में रह रहे करीब 8 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे।
- ट्रंप सरकार के इस विवादित फैसले से 7 हजार से ज्यादा भारतीय-अमेरिकी प्रभावित होंगे।
- एक अनुमान के मुताबिक ऐसे भारतीयों की तादाद 20 हजार से भी अधिक हो सकती है।
- डीएसीए (DACA) के रद्द होने से अमेरिका प्रथम की नीति को बल मिलेगा।
- यह निर्णय विश्व के अन्य देशों को प्रवासियों के सन्दर्भ में नये नियम बनाने के लिये प्रेरित करेगा।
- अमेरिका की कम्पनियों में कार्य कर रहे ऐसे लोगों, जो मूलतः अमेरिका के नहीं हैं, उनसे रोजगार तो छिनेगा ही, कंपनियों के आय-व्यय भी प्रभावित होंगे।
- अमेरिका की दिग्गज आईटी कंपनियों जैसे-गूगल, एपल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों ने ट्रम्प सरकार के फैसले के विरुद्ध अपने कर्मचारियों के साथ खड़े नजर आ रहे। यह निर्णय राजनीतिक बनाम आर्थिक हो सकता है।

यूरेनियम बैंक (Uranium Bank)

तिथि	29 अगस्त, 2017 को वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था IAEA द्वारा
स्थान	कजाखस्तान
उद्देश्य	यह बैंक निम्न संवर्धित यूरेनियम (Low Enriched Uranium) की आपूर्ति को सुचारू रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अर्थात् इस यूरेनियम बैंक का उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों को किसी भी कारण उत्पन्न हुई बाध के बावजूद परमाणु ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कराना है।
निम्न संवर्धित यूरेनियम (LEU)	निम्न संवर्धित यूरेनियम, लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टरों में प्रयुक्त की जाने वाली ईंधन सामग्री है, जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है। यह आमतौर पर खुले बाजार या देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौते के तहत खरीदा जाता है।
बैंक की स्थापनाप में सहयोगी देश	इस परियोजना हेतु अमेरिका, यूरोपीय संघ के दो दर्जन से अधिक देश, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात एवं नार्वे द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
यूरेनियम बैंक का महत्व	• IAEA के अनुसार यह बैंक उन स्थितियों के लिए है, जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य देश किसी कारण से परमाणु ईंधन प्राप्त न कर पाने की स्थिति में उसके बिजली उत्पादन संयंत्रों को 'LEU' की अनुपलब्धता के चलते, बिजली उत्पादन प्रभावित न हो। • इस बैंक में 90 टन LEU का भण्डारण किया जाएगा। हालांकि वैश्विक उपयोग के लिहाज से 90 टन का रिजर्व कम है, परन्तु इतने रिजर्व से किसी बड़े शहर के लिए 3 साल तक बिजली पैदा की जा सकती है।
आईएईए (IAEA) पर एक नजर	अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) एक स्वायत्त विश्व संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार से रोकना, इस संगठन का मुख्य कार्य है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई, 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, आस्ट्रिया में है। संस्था ने वर्ष 1986 में रूस के चेरनोबल में हुई नाभिकीय दुर्घटना के बाद अपने नाभिकीय सुरक्षा कार्यक्रम को विस्तार प्रदान किया।
नोट—	आईएईए (IAEA) प्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधीन नहीं है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्रमहासभा और सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट देता है।

वेनेजुएला संकट (Venezuelan Crisis)**वेनेजुएला एक परिचय**

महाद्वीप	दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित
सीमा स्पर्श करने वाले देश	इसके पूर्व में गुयाना, पश्चिम में कोलम्बिया तथा दक्षिण में ब्राजील है। इसके उत्तर में कैरेबियन द्वीप समूह एवम् उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर है।

भाषा	स्पेनिश
सरकार	फेडरल प्रेसिडेंसियल कान्सीट्यूशनल रिपब्लिक
मुद्रा	बोलिवर
केन्द्रीय बैंक	सेन्ट्रल बैंक ऑफ वेनेजुएला
संकट की पृष्ठभूमि	पेट्रोलियम से संपन्न दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला वर्तमान में भयावह आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि तैयार करने में दो कारक महत्वपूर्ण हैं- 1. राजनैतिक कारक व 2. आर्थिक कारक

वेनेजुएला संकट के राजनैतिक कारक

मार्च 2013 में राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी निकोलस मद्रो राष्ट्रपति बने और उनकी खराब नीतियों के चलते धीरे-धीरे वेनेजुएला राजनीतिक संकट में फसता चला गया।

राष्ट्रपति मद्रो की नीतियाँ (Policies of President Maduro)

- फरवरी-मार्च, 2014 में पश्चिमी राज्यों ताचिरा और मेरिडा में खराब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आम जनता ने सरकार विरोधी प्रदर्शन प्रारम्भ किया। यह प्रदर्शन राजधानी कराकास तक पहुँच गया।
- नवम्बर, 2014 में तेल की कीमतें 4 साल के सबसे कम स्तर तक पहुँचने के कारण सरकार ने सार्वजनिक खर्च में कटौती की घोषणा कर दी। यह घोषणा आम जनता के आर्थिक हितों के अतिक्रमण का फैसला साबित हुई।
- जनवरी, 2016 में मद्रो सरकार ने 60 दिनों के आर्थिक आपातकाल की घोषणा की।
- निकोलस मद्रो द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन किया गया परिणामतः दशकों बाद पहली बार वेनेजुएला में पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी हो गयी।
- वर्ष 2016 के अंत में सरकार ने दो बड़े फैसले लिये पहला वेनेजुएला की सबसे बड़े मूल्य की मुद्रा का विमुद्रीकरण किया ताकि खाद्य व दूसरी बुनियादी चीजों की कमी और तस्करी की समस्या से निपटा जा सके और दूसरा 500 से लेकर 20 हजार मूल्य के नये नोट छापकर आम जनता को मुद्रास्फीति से बचाने का प्रयास किया, जबकि इस फैसले से अर्थव्यवस्था में नकदी आने से मांग और पूर्ति के मध्य का अंतर और गहरा गया। एक अनुमान के अनुसार वेनेजुएला में मुद्रास्फीति की दर तीन अंकीय है।

वेनेजुएला संकट के आर्थिक कारक

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के हाल ही के आकड़ों के अनुसार वेनेजुएला की मुद्रास्फीति दर 482% बेरोजगारी की दर 17% तथा विकास दर दुनिया की सबसे खराब-8% है। यह स्थिति तब से प्रारम्भ हुई जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्य औंधे मूह गिर पड़े, चूंकि वेनेजुएला, तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था है, परिणामस्वरूप तेल के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय, मूलभूत खाद्य पदार्थों के आयात के लिये कम पड़नी प्रारम्भ हो गयी। इसके बाद लगातार महंगाई बढ़ती गई तथा अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली तेल का उत्पादन दिन-प्रति-दिन कम होता गया। मद्रो ने आर्थिक आपातकाल, मुद्रा का अवमूल्यन तथा नोटबन्दी जैसे कई आर्थिक एक्सपैरिमेंट किये परन्तु अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पायी।

- पूर्व में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में सामाजिक क्षेत्र में खर्च किया जाता था, ताकि गरीबी, शिक्षा और बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके, इसके लिये सरकार लाभ में चल रही तेल कंपनियों से भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त करती थी और कई तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर, सम्पूर्ण राजस्व प्राप्त करती थी। तेल की कीमतें जब तक बढ़ती रही तब तक तो सब ठीक रहा लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरती कीमतों ने, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को अर्श से फर्श पर ला दिया।
- यहाँ एक और बात स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की आय का 90 प्रतिशत तेल के निर्यात से प्राप्त होता है, उसके पास कोई अन्य क्षेत्र इतना विकसित नहीं, जो उसके विदेशी मुद्रा भण्डार को बढ़ाने में सहयोग दे। वर्ष 2011 में वेनेजुएला का विदेशी मुद्रा भण्डार 30 अरब डालर था, 2015 में 20 अरब डालर और जुलाई, 2017 में विदेशी मुद्रा भण्डार अब तक के निम्नतम स्तर पर 9.9 अरब डालर का हो गया। विदेशी मुद्रा भण्डार में आयी कमी के चलते, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में चालू खाते के घाटे और व्यापार शेष नकारात्मक होते गये और वेनेजुएला का संकट राजनीतिक-आर्थिक संकट के चलते भीषण जन-विरोध हिंसा और सरकार की खराब नीतियों का पर्याय बन गया।

- 1 अप्रैल, 2017 में विश्व भर के कड़े विरोध एवं आन्तरिक हिंसक प्रदर्शन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेम्बली से संबंधित निर्णय वापस ले लिया।
- संविधान संशोधन हेतु पीठ के गठन का अधिकार प्राप्त करने के लिए निकोलस मदूरी द्वारा 30 जुलाई, 2017 को नेशनल असेम्बली के चुनाव आयोजित कराए जिसमें राष्ट्रपति मदूरो की जीत हुई परन्तु चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद यह दावा किया गया कि मतगणना मदूरों के पक्ष में करवाई गयी है। परिणामतः वेनेजुएला में विपक्ष ने इस चुनाव को मानने से इंकार कर दिया और अपना विरोध जारी रखा।
- मतदान के दिन व्याप्त हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें दर्जन भर लोगों की मृत्यु हो गई।
- जब नवनिर्वाचित नेशनल असेम्बली द्वारा 4 अगस्त, 2017 को शपथ ली गई उस वक्त 44 देशों ने इसे मान्यता प्रदान करने से मना कर दिया, जिसमें प्रमुख थे, अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजील, यूरोपीय संघ, चिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो राष्ट्रपति निकोलस मदूरो को तानाशाह बताते हुए उन पर प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। इसके बाद 11 अगस्त, 2017 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला पर हमले की चेतावनी दे डाली।

नोट: 6 देशों मुख्य रूप से रूस, इरान, चीन ने मदूरो सरकार का समर्थन किया।

कैटालोनिया संघर्ष

भौगोलिक स्थिति	स्पेन के उत्तर पूर्व में स्थित दूसरा सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य जिसकी सीमा फ्रांस तथा अण्डोरा से लगती है।
क्षेत्रफल	32,114 वर्ग किलोमीटर (स्पेन के क्षेत्र का 6.3%)
प्रान्त	4 (1. बार्सिलोना, 2. गिरोना, 3. ल्लेइदा, 4. तर्रगोना)
जनसंख्या	74 लाख (स्पेन की जनसंख्या का 16% है)
धर्म	कैथोलिक, इसाईयों का केन्द्र
भाषा	कैटसन, स्पेनिश, आरानेस
राष्ट्रीय दिवस	11 सितम्बर
मुख्य त्यौहार	• सेण्ट जार्ज डे (23 अप्रैल)–
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य	• कैटालोनिया स्पेन का सर्वाधिक सम्पन्न और दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। • मध्य क्षेत्र स्पेन के विकास का प्रमुख केन्द्र है। • स्पेन के सकल घरेलू उत्पाद में कैटालोनिया का योगदान 20% के बराबर है। • यहाँ बेरोजगारी भी स्पेन के अन्य प्रदेशों की तुलना में कम है, जबकि प्रतिव्यक्ति आय के मामले में कैटालोनिया स्पेन के दूसरे राज्यों से अधिक संपन्न है।

कैटालोनिया का इतिहास

कैटालोनिया का एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में इतिहास 1000 साल का है। स्पेनिश गृह युद्ध से पहले वह पूरी तरह से स्वतंत्र क्षेत्र था, लेकिन यह स्वायत्तता अर्थात् स्थानीय स्वशासन का अधिकार 1939 से 1975 तक जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की तानाशाही के चलते समाप्त हो गया था। उसके बाद जब फ्रांसिस्को का निधन हो गया तो कैटालोनिया का अपने क्षेत्र पर स्थानीय स्वशासन का अधिकार फिर से कायम हो गया परन्तु 1978 में स्पेन में संविधान लागू हो जाने के बाद, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र ने फिर से पूर्ण स्वायत्त प्राप्त करने की मांग प्रबल कर दी।

कैटालोनिया का चर्चा में आने का प्रमुख कारण

कैटालोनिया की क्षेत्रीय सरकार ने स्पेन से आजादी पर सवाल के जवाब के लिए 1 अक्टूबर, 2017 को जनमत संग्रह कराया। इस जनमत संग्रह में वहाँ के 5.3 मिलियन पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 90% मतदाताओं ने कैटालोनिया की आजादी के पक्ष में अपना मत डाला 8% मतदाताओं ने आजादी को खारिज कर दिया। बहुमत 'हाँ' में होने के कारण कैटालोनिया की स्थानीय सरकार ने स्वयं को स्पेन से स्वतंत्र घोषित कर दिया। परन्तु स्पेन की सरकार के कैटालोनिया को इस घोषणा को एक तरफ बताकर नकार दिया। इस जनमत संग्रह के दौरान स्पेनिश पुलिस की करवाई से लगभग 800 से ज्यादा लोग घायल हो गये।

स्पेन की सरकार का पक्ष

कैटालोनिया की प्रादेशिक सरकार ने 6 सितम्बर को एक शासकीय आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया था कि 1 अक्टूबर, 2017 को प्रदेश भर में लोगों की राय को जानने के लिए जनमत संग्रह करवाया जाएगा कि- 'क्या कैटालोनिया को स्पेन से अलग व स्वतंत्र राज्य होना चाहिए या नहीं?' आदेश में यह भी कहा गया कि जनमत संग्रह का परिणाम चाहे जो भी आए कैटालोनिया सरकार उस से बंधी होगी। अगर जनमत संग्रह में जनता की राय स्पेन से अलग होने के पक्ष में आती है तो कैटालोनिया सरकार 48 घंटे के भीतर ही यानी 3 अक्टूबर तक कैटालोनिया को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देगी। मैड्रिड (स्पेन की राजधानी) स्थित स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय ने कैटालोनिया सरकार के शासकीय आदेश को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि वर्ष 1978 में लागू स्पेन का संविधान देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है अर्थात् स्पेन की शासन व्यवस्था और वहाँ का संविधान इकाइयों को संघ से अलग होने की इजाजत नहीं देता। इस आधार पर कैटालोनिया का शासकीय आदेश व जनमत संग्रह दोनों ही निराधार हो जाते हैं।

कैटालोनिया की स्वतंत्र राज्य बनने की मांग के प्रमुख कारक

कैटालोनिया के लोग स्पेन से अलग क्यों होना चाहते हैं। इसके कुछ कारण स्पेन व कैटालोनिया के इतिहास में छिपे हैं, तो कुछ कारण मौजूदा प्रशासनिक व राजव्यवस्था में दिखाई देते हैं, जो निम्नवत् हैं:-

- इतिहास में एक समय ऐसा था जब कैटालोनिया के लोग एक स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में रहते थे, स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में जिन सुखसुविधाओं का उपभोग उनके पुरखों ने किया, आज के कैटालोनियन नागरिक भी उन सुविधाओं का उपभोग करना चाहते हैं।
- यहाँ के लोग अपनी भाषा, परम्परा, त्यौहार व अपनी संस्कृति से बेहद प्रेम करते हैं, ऐसे में जब-जब उनकी स्वतंत्रता को छीना गया तब-तब उनकी भाषा और संस्कृति का गलाघोंटा गया। अपनी भाषा और संस्कृति से छेड़-छाड़ अब कैटालोनिया के नागरिकों को बर्दाश्त नहीं है। उनका मानना है कि सांस्कृतिक रूप से कैटालोनिया के लोग, स्पेन से अलग अपनी पहचान रखते हैं, उनका एक प्रचलित नारा है-कैटालोनिया, स्पेन नहीं है।
- 1939 से 1975 के जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के तानाशाही शासन काल में स्पेन के कोने-कोने से 20 लाख से अधिक लोगों को कैटालोनिया की भूमि में बसाया गया था। आज वही लोग उनकी स्वतंत्रता का विरोध कर रहे हैं।
- वर्ष 2006 में स्पेन में सोशलिस्ट पार्टी की सरकार के समय एक नया स्वायत्त समझौता हुआ। इस समझौते के तहत कैटालोनियों को एक स्वायत्तशासी प्रदेश घोषित किया जाना था। सब कुछ तय होने के बाद इस समझौते को स्पेन की वर्तमान अनुदारवादी पार्टी पोपुलर जनता पार्टी ने समझौते को अदालत में चुनौती दी परिणामतः स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेन के संविधान की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि स्पेन का संविधान प्रान्तों को संघ से अलग होने की इजाजत नहीं देता। इस आधार पर कैटालोनिया को स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग असंवैधानिक है। इस फैसले से कैटालोनिया की जनता की भावनाएं आहत हुईं वह स्वयं का ठगा हुआ मानती है।

- यह कारण कैटोलोनिया के नागरिकों की रोजी-रोटी से जुड़ा है। यूरो मुद्रा वाले देशों में यूनान के बाद अब स्पेन एक ऐसा देश है, जो आर्थिक दीवालियापन के नजदीक है आर्थिक मंदी से उबरने के लिए स्पेन सरकार ने सार्वजनिक खर्चों में कटौती कर दी है। इस निर्णय से कैटोलोनिया जैसे उच्च आर्थिक स्थिति वह खुशहाल प्रदेश प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनका मानना है कि वे करों की हिस्सेदारी में बहुत बड़े हिस्से का योगदान करते हैं, जबकि उनको मिलने वाली वित्तीय सहायता बहुत कम है अर्थात् वे अपनी वित्तीय हिस्सेदारी को स्पेन के अन्य प्रदेशों के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं हैं।
- कैटोलोनिया के लोगों का मानना है कि स्पेन की सरकार कैटोलोनिया के संसाधनों का उपयोग तो कराती हैं पर उसकी तुलना में कैटोलोनिया क्षेत्र में निवेश तथा विकास नहीं करती हैं। इसके कारण यहाँ के लोगों में **मैड्रिड हमें लूट रहा है**, की भावना जोर पकड़ रही है।

स्वतंत्रता के पश्चात कैटोलोनिया का भविष्य—कैटोलोनिया सरकार द्वारा स्वतंत्रता के लिए कराए गए जनमत संग्रह के पश्चात् सबसे बड़ा प्रश्न यह उभरकर आता है कि अगर कैटोलोनिया, स्पेन से स्वतंत्र हो जाता है तो उसका भविष्य क्या होगा? विश्व समुदाय में वह अपने आप को कैसे स्थापित करेगा? कैटोलोनिया के पास अपना राष्ट्रीय झण्डा, संसद, पुलिस, शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ प्रसारण का अधिकार है, परन्तु कई अन्य तत्व जो किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे-राष्ट्रीय बैंक, सेना, विमानन, बिजली, टेलीफोन एवं गैस वितरण की अपनी व्यवस्था नहीं है, इसके लिए वह स्पेन पर निर्भर है।

निष्कर्ष—जनमत को ध्यान में रख कर कैटोलोनिया और स्पेन की सरकार को शांतिपूर्ण वार्ता करके इस विवाद का हल निकालना होगा। जनमत को दबाने की कोशिश हिंसा का रूप ग्रहण कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी इस विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

तालिका 4.1: अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 9वाँ BRICS सम्मेलन

आयोजन स्थल	सम्मेलन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
शियामेन शहर चीन (3 से 5 सितम्बर, 2017)	थीम— उज्ज्वल भविष्य के लिए मजबूत भागीदारी (Strong Partnership for Brighter Future) घोषणा पत्र— 43 पृष्ठ का शियामेन घोषणा पत्र घोषणा पत्र के अहम मुद्दे: आंतकवाद— भारत के गोवा में सम्पन्न हुए 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन ने आंतकवादी संगठनों और आंतकवाद का जिक्र करने का यह कहते हुए विरोध किया था कि इसका ब्रिक्स के उद्देश्यों और उसकी भावनाओं से कोई लेना-देना नहीं है जबकि 9वें शिखर सम्मेलन में वह आंतकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा दिखा क्योंकि इस सम्मेलन में आंतकी संगठनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया जो पाकिस्तान की धरती से आंतकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यह पहला मौका है जब ब्रिक्स देशों के घोषणापत्र में पाकिस्तान स्थित आंतकी संगठनों के नाम प्रत्यक्ष रूप से दिए गए हैं। साथ ही घोषणापत्र में कट्टरपंथ और अलगाववाद को रोकने के लिए वित्तीय सहायता को नियंत्रित करने, आंतकवादियों की आवाजाही पर नजर रखने, कालेधन को सफेद किए जाने पर नजर रखने तथा हथियार और ड्रग्स की तस्करी पर पाबन्दी लगाये जाने की बातों को शामिल किया गया। चीन का बदलता हुआ रूख भारत की एक बड़ी कूटनीतिक विजय है क्योंकि जो चीन आंतकवाद के मुद्दे पर अपने मित्र पाकिस्तान को परोक्ष रूप से बचाता आया है, ब्रिक्स के शेष चार देशों के दबाव पर भारत की आंतकवाद से जुड़ी चिंताओं का समर्थन करता दिखा। आर्थिक क्षेत्र: • उभरते बाजारों और विकासशील देशों के साथ व्यापक साझेदारी की दिशा में नान-ब्रिक्स देशों (थाईलैण्ड, ताजिकिस्तान, मिस्त्र, केन्या एवं मैक्सिको) के साथ समानान्तर एवं लचीला व्यवहार व बातचीत पर सहमति। • ब्रिक्स लोकल करेंसी बांड व फण्ड की स्थापना। • वित्तीय बाजार एकीकरण की सुविधा के लिए सहमति। • ब्रिक्स इस्टीमेट ऑफ फ्यूचर नेटवर्क की स्थापना।

आयोजन स्थल	सम्मेलन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
ऊर्जा सहयोग:	ऊर्जा वस्तुओं और तकनीकी के लिए त्वरित, लचीला और पारदर्शी बाजार खुलने एवं इस पर ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी।
सूचना प्रौद्योगिकी:	सदस्य देशों के बीच सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) में अनुसंधान, विकास एवं नवाचार हेतु सहमति बनी जिसमें इंटरनेट की सामग्री, बड़े डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, नैनो-टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5जी और उसके नवीनतम अप्लीकेशन भी शामिल हैं।
कृषि:	भारत में ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच स्थापित करने का प्रस्ताव जो प्राथमिक क्षेत्र में सहयोग के लिए आभासी नेटवर्क के रूप में काम करेगा।
लोग से लोग का आदान-प्रदान:	ब्रिक्स देशों के बीच आपसी समझ, मैत्री और सहयोग के विकास और वृद्धि के लिए लोगों के बीच परस्पर (People to People Exchanges) आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति।
अन्य:	ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानान्तर चीन द्वारा आयोजित कार्यक्रम, 'ब्रिक्स: उभरते बाजार और विकासशील देश संवाद' को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और दुनिया में बदलाव का 10 सूत्रीय संकल्प पेश किया जिसमें शामिल 10 सूत्र थे:- 1. सुरक्षित विश्व 2. हरित विश्व का निर्माण 3. सक्षम विश्व का निर्माण 4. डिजिटल दुनिया बनाना 5. कौशल विश्व निर्माण को युवा प्रशिक्षण 6. न्याय संगत विश्व 7. स्वस्थ विश्व का निर्माण 8. बराबरी की दुनिया 9. दुनिया को आपस में जोड़े रखने के लिए संचार सम्पर्क 10. सामंजस्यपूर्ण दुनिया के निर्माण से सबका विकास।
नोट—शियामेन घोषणा पत्र में जिन आंतकी संगठनों के नाम स्पष्ट रूप से लिखे गये वे हैं:- अलकायदा, तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजब-उल-तहरीर, आईएसआईएस, हक्कानी नेटवर्क एवं तहरीक-ए-तालिबान आदि।	

तालिका 4.2: 12वाँ G-20 सम्मेलन

आयोजन स्थल	सम्मेलन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
हैम्बर्ग, जर्मनी (1-8 जुलाई, 2017)	थीम— परस्पर संबद्ध विश्व को आकार देना (Shaping an Interconnected World) घोषणा पत्र— जी-20 लीडर डिकलरेशन, शेपिंग एन इंटर कनेक्टेड वर्ल्ड चर्चा का मुख्य विषय— आंतकवाद, मुक्त व्यापार, वित्तीय बाजारों का विनियमन, कर अपवचनों के विरुद्ध संघर्ष, समावेशी एवं सतत् विकास, यूरोपीय शरणार्थी संकट, महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, संरक्षणवाद का विरोध तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश का संवर्धन, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु राजकोषीय प्रोत्साहन। सम्मेलन में सहमत अन्य दस्तावेज— हैम्बर्ग एक्शन प्लान, क्लाइमेट एण्ड एनर्जी एक्शन प्लान फॉर ग्रोथ, जी-20 एक्शन प्लान ऑन मैरीन लिटेर, जी-20 अफ्रीका पार्टनरशिप, जी-20 इनीशिएटिव फॉर रूरल यूथ इम्प्लायमेंट।

तालिका 4.2 (Continued)

आयोजन स्थल	सम्मेलन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
	अन्य महत्वपूर्ण मुलाकातें—
	7 जुलाई, 2017 को हैम्बर्ग में जी-20 सम्मेलन से पृथक ब्रिक्स राष्ट्रों के नेताओं की बैठक हुई। - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य पहली मुलाकात हुई जिसमें वे दोनों नेता दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में आंशिक युद्ध विराम लागू किए जाने पर सहमत हुए। - भारतीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष हेतु 10 सूत्रों वाली कार्ययोजना जी-20 देशों के समक्ष प्रस्तुत की।

तालिका 4.3: 43वाँ G-7 सम्मेलन

आयोजन स्थल	सम्मेलन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
टाओर्मिना शहर सिसली द्वीप इटली (26-27 मई, 2017)	घोषणा पत्र— जी-7 समूह के नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित टाओर्मिना घोषणापत्र जारी किया।
	घोषणा पत्र के अहम मुद्दे— इस घोषणापत्र में वर्ष 2030 हेतु सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति के साथ विकासशील देशों के 50 करोड़ व्यक्तियों को कुपोषण एवं भूख से छुटकारा दिलाने की बात कही गई है। साथ ही आतंकवाद के विरुद्ध मिलकर संघर्ष करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, वैश्विक स्वास्थ्य ऊर्जा को बढ़ाव देने, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ 'जीरो हंगर' के लक्ष्य की प्राप्ति और अफ्रीकी देशों में विशेष रूप से विकास को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य - इस सम्मेलन में सभी देशों के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया। नोट— अमेरिका ने 1 जून 2017 (सम्मेलन समाप्ति के 3 दिन बाद ही) को पेरिस समझौते से स्वयं को अलग करने की घोषणा कर दी। - इस सम्मेलन में जी-7 देशों ने 'जेंडर रिस्योसिव इकोनॉमिक एनवायरमेंट' पर रोडमैप और इनोवेशन, स्किल एण्ड लेबर पर एक्शन प्लान को स्वीकृति दी।

तालिका 4.4: 17वाँ SCO सम्मेलन

आयोजन स्थल	सम्मेलन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
अस्तना, कजाखस्तान (8-9 जून, 2017)	घोषणा पत्र के अहम मुद्दे— इस घोषणा पत्र में विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग संवर्धन की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के साथ यूरेशियाई संघ और चीन की वन बेल्ट वन रोड (OBOR) पहल को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।

ब्रिक्स: एक परिचय (BRICS-An Introduction)

संकल्पना	सर्वप्रथम वर्ष 2001 में गोलडमैन सैश समूह के मुख्य अर्थशास्त्री जेम्स-ओ' नील ने पश्चिमी देशों को चुनौती देने की क्षमता रखने वाले देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए ब्रिक 'BRIC' शब्द का प्रयोग किया था।								
स्थापना	21वीं शताब्दी के पहले दशक के अन्त में परम्परागत विकसित देश वैश्विक वित्तीय संकट से ग्रसित हो गए वहीं दूसरी ओर विश्व के विकासशील देशों ने इस दशक में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति दर्ज की। वर्ष 2009 में ऐसे ही चार देशों— ब्राजील, रूस, भारत व चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक 'BRIC' की स्थापना की थी। ब्रिक की स्थापना इन चार देशों के प्रथम शिखर सम्मलेन 16 जून 2009 को रूस के शहर में येकाटेरिनबर्ग में सम्पन्न हुआ था।								
उद्देश्य	अमेरिका व उसके यूरोपीय सहयोगियों के प्रभुत्व वाली वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के स्थान पर बहु ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की स्थापना।								
नये सदस्य	- वर्ष 2009 व वर्ष 2010 तक यह समूह 4 देशों का समूह था। - वर्ष 2011 में दक्षिण अमेरिका ने सदस्य के रूप में इस समूह के सम्मेलन में भाग लिया। इस प्रकार ब्रिक्स 'BRICS' में परिवर्तित हो गया।								
ब्रिक्स समूह की संज्ञा वैश्विक भागीदारी	यह समूह विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है।								
	<table> <tr> <th>आधार</th><th>भागीदारी प्रतिशत में</th></tr> <tr> <td>जनसंख्या</td><td>53</td></tr> <tr> <td>विश्व व्यापार</td><td>17</td></tr> <tr> <td>वैश्विक जीडीपी</td><td>30</td></tr> </table>	आधार	भागीदारी प्रतिशत में	जनसंख्या	53	विश्व व्यापार	17	वैश्विक जीडीपी	30
आधार	भागीदारी प्रतिशत में								
जनसंख्या	53								
विश्व व्यापार	17								
वैश्विक जीडीपी	30								
सम्मेलन	<table> <tr> <td>प्रथम</td><td>येकाटेरिनबर्ग, रूस (2009)</td></tr> <tr> <td>आठवाँ</td><td>गोवा, भारत (2016)</td></tr> <tr> <td>नवाँ</td><td>शियामेन, चीन (2017)</td></tr> <tr> <td>दसवाँ</td><td>जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका (2018)</td></tr> </table>	प्रथम	येकाटेरिनबर्ग, रूस (2009)	आठवाँ	गोवा, भारत (2016)	नवाँ	शियामेन, चीन (2017)	दसवाँ	जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका (2018)
प्रथम	येकाटेरिनबर्ग, रूस (2009)								
आठवाँ	गोवा, भारत (2016)								
नवाँ	शियामेन, चीन (2017)								
दसवाँ	जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका (2018)								

जी-20: एक परिचय (G-20: An Introduction)

गठन	सितम्बर 1999 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक (International Monetary Fund) व (World Bank) की वार्षिक बैठक के दौरान की गयी।						
	नोट —15-16 दिसम्बर, 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में।						
समूह की विशेषता	यह संगठन विश्व की कुछ सबसे चुनिंदा अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है जो हर आधार पर विश्व की वित्तीय एवं मुद्रा व्यवस्था तथा व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।						
सदस्य संख्या	20 (19 देश एवं यूरोपीय संघ)						
	नोट —G-7 + ब्रिक्स + ऑस्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया, मेक्सिको, अर्जेन्टीना, दक्षिण कोरिया, टर्की, साउदी अरब + यूरोपीय संघ।						
उद्देश्य	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को अधिक सुगम बनाना, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक सुधार लाना, विश्व बैंक व आईएमएफ द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का कुशल प्रबन्धन करना शामिल है।						
सम्मेलन	जी-20 के वार्षिक सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री, देशों के केन्द्रीय बैंक के गवर्नर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक के अधिकारी शामिल होते हैं।						
	<table><tr><td>प्रथम</td><td>:</td><td>1999 बर्लिन, जर्मनी</td></tr><tr><td>ग्यारहवाँ</td><td>:</td><td>2016 हॉङ्ग, चीन</td></tr></table>	प्रथम	:	1999 बर्लिन, जर्मनी	ग्यारहवाँ	:	2016 हॉङ्ग, चीन
प्रथम	:	1999 बर्लिन, जर्मनी					
ग्यारहवाँ	:	2016 हॉङ्ग, चीन					

बारहवाँ	:	2017 हैम्बर्ग, जर्मनी
तेरहवाँ	:	2018 ब्यूनस आयर्स अर्जेन्टीना
चौदहवाँ	:	2019 जापान
पन्द्रहवाँ	:	2020 सऊदी अरब

जी-7: एक परिचय (G-7: An Introduction)

स्थापना	22 सितम्बर 1985 न्यूयार्क में
नोट—	22 सितम्बर, 1985 में यह जी-5 था अर्थात् पाँच देशों—फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। 1996 में कनाडा और इटली इसके सदस्य बन गये। 1997 में रूस ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। 1997 से 2013 तक रूस इस समूह का सदस्य रहा। परन्तु 2014 के यूक्रेन संकट के बाद रूस को इस समूह से निलंबित कर दिया गया तथा वर्तमान में यह समूह जी-7 के रूप में अपनी बैठक आयोजित कर रहा है।
समूह की विशेषता	यह ऐसे देशों का समूह है जिसका गठन बाजार अर्थव्यवस्था वाले अमीर औद्योगिक देशों की सदस्यता से हुआ है। ये राष्ट्र नियमित रूप से शिखर सम्मेलनों के माध्यम से मिलते हैं और आर्थिक नीतियों एवं अन्य मुद्दों पर सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं।
समूह	पहला : न्यूयार्क अमेरिका (1985) 42वाँ : काशिको द्वीप जापान (2016) 43वाँ : टाओर्मिना शहर सिसिली द्वीप इटली (2017) 44वाँ : कनाडा (2018) में

एससीओ: एक परिचय (SCO—An Introduction)

गठन	वर्ष 1996 में
नोट—	1996 में यह संगठन शंघाई-5 के नाम से जाना जाता था इसके सदस्यों में शामिल देश थे। 1. चीन 2. कजाखस्तान 3. रूस 4. ताजिकिस्तान 5. किर्गिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने से यह समूह शंघाई-5 के स्थान पर शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation) (SCO) बन गया। 9 जून 2017 को अस्तना शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान एससीओ (SCO) के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए। पिछले 12 वर्षों से (2005 से) भारत और पाकिस्तान इस संगठन के पर्यवेक्षक सदस्य थे।
उद्देश्य	आपसी साझा सीमा पर सदस्य देशों द्वारा सैन्य बलों को कम करना, एक दूसरे के विरुद्ध सैन्य बलों के प्रयोग को रोकना, क्षेत्रीय स्थायित्व भंग करने वालों के खिलाफ साझा लड़ाई तथा आपसी सीमा विवादों का स्थायी समाधान शामिल है।
वैश्विक जगत में भागीदारी	आधार : भागीदारी प्रतिशत में जनसंख्या : 42 वैश्विक जीडीपी : 20 वैश्विक भू-भाग : 22
सम्मेलन	प्रथम : शंघाई चीन (2001 में) 16वाँ : ताशकंद उज्बेकिस्तान (2016 में) 17वाँ : अस्तना कजाखस्तान (2017 में) 18वाँ : चीन (2018 में)

- अन्य
- एससीओ (SCO) में वर्तमान में 8 पूर्ण सदस्यों के अतिरिक्त अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एवं मंगोलिया को पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा प्राप्त है।
 - वार्ता भागीदार के रूप में आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की शामिल हैं।

15 वीं 'डूइंग बिजनेस-इण्डेक्स'-2018 (15th Doing Business Index-2018)

प्रस्तुतकर्ता	विश्व बैंक
जारी करने का उद्देश्य	विश्व के विभिन्न देश व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपनी अर्थव्यवस्था में समय-समय पर बुनियादी बदलाव करते रहते हैं। इन्हीं बुनियादी बदलावों के आधार पर इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इन देशों को रैंक प्रदान करती है।
वर्तमान में चर्चा का कारण	190 देशों के इस सूचकांक में भारत का स्थान पूर्व में 130 था, जो इस वर्ष अभूतपूर्व सुधार के साथ 100वें स्थान पर है अर्थात् 30 रैंक की उछाल वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है।
रैंक मापने के आधार व भारत का स्थान	'डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट व्यावसायिक विनियमन (Business Regulations) के पहलुओं को मापने के लिए 11 संकेतकों का उपयोग करती हैं, जो उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत का इन संकेतकों में प्रदर्शन कैसा रहा? और अच्छे प्रदर्शन के पीछे क्या कारण रहे? इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:-

तालिका 4.5: रैंक मापने के आधार व भारत का स्थान

आधार	रैंक 2018	रैंक 2017	परिवर्तन के कारण (कर भुगतान)
• कर भुगतान (Paying Taxes)	119	172	• भारत की रैंक में सबसे प्रभावी सुधार 'कर अदा करने की सुगमता' में हुआ है। अर्थात् भारत ने 53 अंक की लंबी छलांग लगाई है। करों के भुगतान में यह सुधार 2 कारणों से हुआ है:- 1. कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान डिजिटल माध्यम से करने की सुविधा। 2. कंपनियों द्वारा अदा किये जाने वाले कर (निगम कर) नियमों को सरल बनाने से।
• दिवालियापन का समाधान (Resolving Insolvency)	103	136	• भारत की रैंक में दूसरा सबसे प्रभावी सुधार दिवालिया के समाधान मामले में आया है। इस क्षेत्र में भारत ने 23 अंक की छलांग लगायी है। इस प्रदर्शन का मुख्य कारण भारत में दिवालिया कानून का लागू होना है इस कानून के तहत दिवालिया प्रक्रिया के दौरान उद्यम बंद नहीं किया जाता बल्कि चलता रहता है और उस उद्यम के दिवालिया घोषित होने पर ही उद्यम बंद होता है, जबकि पूर्व के नियमों उद्यम के कठिनाई में आते ही पहले उद्यम बंद किया जाता था बाद में दिवालिया घोषित किया जाता था। नए प्रावधान में इस प्रक्रिया को समाप्त कर निश्चित रूप से दिवालिया ग्रस्त उद्यमों की संख्या में कमी आयी है।
• ऋण प्राप्त करना (Getting Credit)	29	44	• भारत की रैंक में तीसरा सबसे बड़ा सुधार ऋण प्राप्ति करने के क्षेत्र में आया है। भारत ने इस क्षेत्र में 15 अंक से रैंक में सुधार किया है। इस सुधार का प्रमुख कारण बैंकों को दी गयी अतिरिक्त शक्ति है, जिसके तहत दिवालिया घोषित उद्यमों से, बैंकों को ऋण वसूली करना आसान बनाया गया है। इसके अतिरिक्त दिवालियापन कानून में बदलाव के कारण उद्यम के पुनर्गठन का रास्ता खुला रहता है।
• अल्पांश निवेशकों की रक्षा (Protecting Minority Investors)	4	13	• भारत की रैंक में 9 अंकों के सुधार के साथ इस क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन हुआ है। इसका कारण है, सेबी द्वारा छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हानिकारक लेन-देन की स्थिति में उनका बचाव किया जाना है।

(Continued)

तालिका 4.5: रैंक मापने के आधार व भारत का स्थान (Continued)

आधार	रैंक 2018	रैंक 2017	परिवर्तन के कारण (कर भुगतान)
● अनुबंध लागू करना (Enforcing Contracts)	164	172	● भारत ने इस क्षेत्र में 8 अंक का सुधार किया है। इसका प्रमुख कारण दिल्ली व मुंबई जैसे व्यापारिक शहरों में 'राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड' का प्रारम्भ होना है। जिसके चलते स्थानीय अदालतों में मामलों के प्रबन्ध में आसानी होगी और अनुबंध कार्यान्वयन में सहूलियत होगी।
● व्यवसाय शुरू करना (Starting a Business)	181	185	● भारत ने इस क्षेत्र में 4 अंक का सुधार किया है, का प्रमुख कारण पैन (PAN) तथा कर खाता संख्या (TAN) हेतु आवेदनों की अलग-अलग प्रक्रिया का विलय करने से हुआ तथा आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने से कारोबार शुरू करने के क्षेत्र में गति तेज हुई है।

शेष 4 क्षेत्रों: 1. व्यवसाय शुरू करना (1 पायदान पीछे), 2. विद्युत सुविधा पाना (3 पायदान पीछे), 3. संपत्ति पंजीकरण (16 पायदान पीछे) एवं 4. अंतरराष्ट्रीय व्यापार (3 पायदान पीछे) में भारत का प्रदर्शन पूर्व की तुलना में और निम्न स्तरीय हुआ है।

नोट— 'श्रम बाजार नियमन' नामक संकेतक जो कारोबार सुगमता (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) रिपोर्ट में रैंक देने का ग्यारहवा आधार है, परन्तु 2017 की भाँति वर्ष 2018 की रैंकिंग में इस आधार को शामिल नहीं किया गया।

तालिका 4.6: इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष व निम्न स्थान पाने वाले 5 देश

शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 5 देश	अंतिम पायदान में स्थान प्राप्त करने वाले देश
1. न्यूजीलैंड	1. सोमालिया
2. सिंगापुर	2. इरीट्रिया
3. डेनमार्क	3. वेनेजुएला
4. द. कोरिया	4. दक्षिणी सुडान
5. हांगकांग	5. यमन

नोट—वर्ष 2017 में द. कोरिया 5वें स्थान पर था, जबकि 2018 में उसकी रैंक में एक स्थान का सुधार आया है। शेष तीनों देशों ने अपना यथास्थायी बनाये रखी है।

नोट—वर्ष 2017 में वेनेजुएला का 187वीं रैंक थी, जो वर्ष 2018 में और खराब प्रदर्शन के चलते 188वीं रैंक हो गयी, सोमालिया व इरीट्रिया ने अपनी यथास्थिति बनाये रखी है।

- वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 की रिपोर्ट में 10 अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं, जिनके प्रदर्शन में सर्वाधिक सुधार देखने को मिला है, वे निम्नवत् हैं:—

तालिका 4.7: 2018 में सर्वाधिक सुधार वाली अर्थव्यवस्थाएं

देश	महाद्वीप
ब्रुनेई, थाईलैंड, भारत, उज्बेकिस्तान	एशिया
जाम्बिया, नाइजीरिया, जिबूती, मलावी	अफ्रीका
कोसावो	यूरोप
अल स्लवाडोर	उत्तरी अमेरिका

- ब्रुनेई लगातार दूसरे वर्ष सर्वाधिक सुधार करने वाला देश रहा है।
- अल स्लवाडोर, भारत, मलावी, नाइजीरिया तथा थाईलैंड सर्वाधिक सुधार वाली शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहली बार शामिल हुए हैं।
- इस रिपोर्ट में रैंकिंग तैयार करने के लिए 2 जून, 2016 से 1 जून, 2017 तक की अवधि ली गयी है वह जबकि भारत में जीएसटी 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया है। अर्थात् इस सुधार में जीएसटी की कोई भूमिका नहीं है। परन्तु अगले वर्ष की रिपोर्ट में जीएसटी के शामिल होने से भारतीय रैंक में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
- भारत का लक्ष्य कारोबार सुगमता (इज डूइंग बिजनेस) रिपोर्ट में शीर्ष 50 देशों में शामिल होना है।

महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची

तालिका 4.8: आस्ट्रेलिया में नया नागरिकता कानून

पुराने नियम	नए नियम
1 वर्ष तक आस्ट्रेलिया में रहने के बाद आवेदन कर सकते हैं। - आवेदन कौन करे इस बारे में कोई सख्त नियम नहीं थे। - नागरिकता जाँच परीक्षा में फेल होने के बावजूद जितनी बार चाहें यह परीक्षा दे सकते थे। - जाँच परीक्षा में अंग्रेजी भाषा की दक्षता से संबंधित सवालों पर जोर दिया जाता था।	- आवेदन से पहले आस्ट्रेलिया में 4 वर्ष रहना जरूरी होगा। - आवेदनकर्ता की गतिविधियों, आपराधिक मामलों की पुलिस द्वारा गहन छानबीन होगी। - नागरिकता जाँच परीक्षा में 3 बार विफल रहने पर 02 वर्ष तक परीक्षा नहीं दे सकेंगे। - जाँच परीक्षा में आस्ट्रेलियाई मूल्यों से जुड़े सवाल प्रमुख होंगे।

नोट—20 अप्रैल, 2017 को आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैकलम टर्नबुल एवं अप्रवासन तथा सीमा सुरक्षा मंत्री पीटर डट्टन द्वारा संयुक्त वक्तव्य जारी करके नागरिकता कानून में बदलाव किया गया। आस्ट्रेलिया में विदेशी कामगारों के लिए वीजा 457 रद्द करने के बाद आस्ट्रेलिया ने नागरिकता कानून भी सख्त कर दिया है। अब विदेशी लोगों को आसानी से नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा।

ओपेक विशेष (Organization of the Exporting Countries - OPEC)

उद्देश्य	अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित करना तथा उन्हें एकरूप बनाना और उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम पदार्थों की कुशल एवं नियमित आपूर्ति करना, उत्पादकों को एक स्थिर आय एवं पेट्रोलियम उद्योग में निवेश करने वालों को उनकी पूंजी पर उचित प्रतिफल की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों के स्थिरीकरण पर जोर देना है।
स्थापना	10-14 सितम्बर, 1960 में।
संस्थापक देश	5 देश (1. इरान, 2. ईराक, 3. कुवैत, 4. सऊदी अरब एवं 5. वेनेजुएला)।
अन्य देश	1. कतर (1961), 2. इंडोनेशिया (1962), 3. लीबिया (1962), 4. यूएई (1967), 5. अल्जीरिया (1969), 6. नाइजीरिया (1971), 7. इक्वाडोर (1973), 8. गैबन (1975), 9. अंगोला (2007)।
नवीनतम सदस्य	नोट —वर्ष 2009 में इंडोनेशिया को ओपेक से निलम्बित किया गया, 2016 में इंडोनेशिया पुनः ओपेक का सदस्य बना तथा नवम्बर, 2016 में इंडोनेशिया ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी।
महत्वपूर्ण तथ्य	25 मई, 2017 को वियना में आयोजित ओपेक देशों की 172 वीं बैठक में अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी को ओपेक के 14वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गयी।
	- इक्वाडोर व गैबन दो देश ऐसे भी हैं, जिन्होंने क्रमशः 1992 व 1995 में ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी परन्तु बाद में क्रमशः 2007 व 2016 में पुनः सदस्यता अपना ली। - वर्तमान में इक्वेटोरियल गिनी में 2,20,000 बैरल/दिन की दर से तेल उत्पादन किया जाता है। बाजार में तेल के मूल्य को स्थिर करने के लिए 12,000 बैरल/दिन की दर से कटौती की प्रतिबद्धता की गयी है ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को गिरने से रोका जा सके। - कोई भी देश, जिसका कच्चे तेल का शुद्ध निर्यात संतोषजनक स्थिति में हो, वह ओपेक का पूर्ण सदस्य बन सकता है। बशर्ते सभी सदस्यों की सहमति सहित तीन-चौथाई पूर्णकालिक सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो।